

प्रेषक,

आर० के० गौतम,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-12, मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय:- शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/ दस-2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून 2024 के क्रम में पुरानी पेंशन का विकल्प पत्र के सम्बन्ध में-

महोदय,

सादर निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किए जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रार्थी की नियुक्ति विज्ञप्ति सं० ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 22-28 नवम्बर, 2003 के अंतर्गत हुई है तथा उपरोक्त शासनादेश से आच्छादित है।


उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकित 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा इस अनुरोध पत्र के साथ विकल्प पत्र संलग्न है।

अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के विकल्प पत्र को संस्तुति एवं सहमति के लिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 22.07.2024


(राकेश कुमार गौतम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-12, मुरादाबाद